

## भाग—IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्विवृत सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उपवनसंरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुन्पत्ति समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।	छतरपुर जिले में प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग क्र0-43 एक्सटेंशन गुलांज-अमानगंज-पवई-कटनी मार्ग के चौड़ीकरण/निर्माण हेतु 30.426 हेक्टेयर वन भूमि म0प्र0 सड़क विकास निगम, सागर को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	---

तिथि:—05.03.2019

स्थान:— भोपाल।

  
आपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल